

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल पावन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्विक, कानूनिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्फुल्ल शिल्पी केवल अलाक्रीय शोपनामी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 613 दिनांक 03/03/2020

पार्श्विका CD डीएल गोलानी एन 0 श्रीमती ज्योति गोलानी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं०-483-ए अन्तर्गत संख्या 426 पट्टी द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 24810/- (जि.म.)

जरिये रसीद संख्या 7069/7005, 7006

दिनांक 03/03/2020 को जमा करा दी है ।

9/3/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

पृष्ठ +1
भारतीय


10/07/2020
2914048540